यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/09/2018 **दिनांक :** 02.02.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बजट–2018

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर हमारे एआईबीईए के महामंत्री, साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा 01.02.2018 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए **1.2.2018**
द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

बजट–2018 – निराशाजनक किन्तु आश्चर्यजनक नहीं

ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था कम विकास दर और गरीबी में वृद्धि, औद्योगिक मंदी तथा कृषि संकट, बेरोजगारी और आजीविका हानि में वृद्धि से पीड़ित है, बजट–2018 एक और बड़ी निराशा है लेकिन निश्चित रूप से आश्चर्यजनक नहीं है। सरकार की घोषित आर्थिक नीति को देखते हुए, यह बजट बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह बहुसंख्य लोगों और कुछ अमीरों के समुदाय के बीच के विस्तृत अंतर की मुख्य समस्या का समाधान नहीं करेगा। बल्कि आम लोगों के संकट को बदतर करने के लिए अंतर को और अधिक विस्तृत कर देगा। बजट इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, वादों तथा आश्वासनों से भरा है लेकिन यह एक अच्छी तरह से तैयार धोखा और बाजीगरी है।

सरकार कई चीजों का दावा कर रही है लेकिन हम महसूस करते हैं, यह वर्तमान आर्थिक समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं करेगा।

- बजट एक विकासोन्मुख बजट नहीं है।
- बजट में मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
- गरीबी को कम करने और भूख और दरिद्रता के कगार से लाखों लोगों को उठाने के लिए कोई उपाय प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

कृषि

- सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और किसानों के लिए अधिक आय का दावा करती है। कृषि को एक उद्यम के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, 2022 तक किसानों की आय दोगुना

जारी पृष्ठ 2

करने के लिए, कृषि क्षेत्र में हर वर्ष 14% की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन, वर्तमान में, यह केवल 2–3% प्रति वर्ष तक बढ़ता है। किसानों की आय में वृद्वि के लिए कोई उचित योजना पेश नहीं की गई है। यह सिर्फ एक बहाना है। किसानों का संकट जारी रहेगा।

- हालांकि सरकार को लगता है कि किसान को खरीफ को अपने उपज के 1.5 गुना उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलना चाहिए, इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जब तक कि किसान को अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेचने की अनुमति नहीं मिल पाती। और सरकार ने यह नहीं बताया कि कैसे किसान को अपने उत्पादन के 1.5 गुना का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा।

- 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समिति) अधिनियम, समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह किसानों की आय में सुधार के लिए किसी भी उद्देश्य में मदद नहीं करता। एपीएमसी केवल बाजार बिचौलियों को वैध बनायेगा, जो किसानों को कोई लाभ नहीं देगा। हालांकि, एपीएमसी को प्रोत्साहित किया गया है।

- 2000 करोड़ रूपये के कोष में बनाया गया कृषि बाजार फंड एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन यह कैसे किसानों के फंड और उनकी आय में सुधार करने के लिए काम करता है इसके कार्यान्वयन में देखा जाना है।

- बजट में संस्थागत ऋण के कृषि क्षेत्र के लिए रू0 11 लाख करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, पिछले वर्ष जब आवंटन रू0 10 लाख करोड़ था, तब इस ऋण का अधिकांश हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों तक नहीं पहुंचा लेकिन बड़े किसानों और कॉर्पोरेट किसानों को पहुंचा।

- कृषि का वायदा बाजार में होना केवल कृषि उत्पादों के कीमतों में इजाफा करेगा और निश्चित रूप से आम आदमी को प्रभावित करेगा। यह भी किसानों या कृषि आय को मदद नहीं करेगा।

- सहकारी बैंकों के मुनाफे को मुक्त रखने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80पी में संशोधन नहीं किया गया है। यह सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को आयकर भुगतान करने के लिए मजबूर करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

स्वास्थ्य देखभाल :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना जिसमें 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों और लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालीकरण के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5 लाख तक शामिल किया जायेगा। हालांकि, उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए बजट में कोई ठोस योजना पेश नहीं की गई है। यह 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा प्रतीत होती है।

रोजगार सृजन :

इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले, उन्होंने वादा किया कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए हर साल दो करोड़ नौकरियां का सृजन किया जायेगा। चालू वर्ष के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां का सृजन किया गया है। हालांकि, इस स्वतंत्र अध्ययन परिणामों को विभिन्न अर्थशास्त्री और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने चुनौती दी है यह मानते हुए कि यह दोषपूर्ण है। वित्त मंत्री का यह दावा सही नहीं है क्योंकि अगस्त, 2017 में, नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविन्द पनगारिया ने कहा, ''रोजगार सृजन में प्रमुख बाधा यह है कि हमारे उद्यमी सरलता से श्रम प्रधान गतिविधियों में निवेश नहीं करते हैं।'' योजनाओं के रोजगार उत्पादन की वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषणा नहीं की गई है।

जारी पृष्ठ 3

कर प्रस्ताव :

- कॉर्पोरेट कर 25% तक कम किया गया उन कम्पनियों के लिए जिनका रू0 250 करोड़ का कुल कारोबार है (रू0 7000 करोड़ का राजस्व अनुमान)

- चिकित्सा व्ययों से जुड़ी रू0 40000/– की मानक कटौती तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन सुविधा के अतिरिक्त व्यक्तिगत आयकर सीमायें संशोधित अथवा कम नहीं की गई हैं। मध्यम वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी निराशा है।

- शैक्षिक उपकर 4% तक बढ़ा।

- इसलिए, वेतनभोगी वर्ग इस बजट से लाभान्वित नहीं है।

- अमीरों और अति–समृद्ध पर कर नहीं लगाया गया है इस तथ्य के बावजूद कि ऑक्सफैम रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में असमानता काफी अधिक है।

- ये कम्पनियां और उद्योग हैं जो कॉर्पोरेट आय कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से लाभान्वित हुए हैं, जो श्रम प्रधान और रोजगार पैदा करने वाली गतिविधियों में निवेश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा उन्हें रियायतें बांटना जारी है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि कॉर्पोरेट आयकर या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क में कोई कटौती नहीं हुई है। कॉर्पोरेटों के लिए इस वर्ष भी राजस्व अनुमान निश्चित रूप से रू0 2,45,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा।

बैंकों के खराब ऋण :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़ी मात्रा में खराब ऋणों की वसूली को बजट में संबोधित नहीं किया गया। एआईबीईए बड़े खराब ऋणों को वसूलने के लिए कठोर उपायों की माँग कर रही है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट चूककर्ताओं से। लेकिन कोई ठोस उपायों की घोषणा नहीं की गई है। पहले से ही, संकेत हैं कि दिवालियापन कार्यवाही के तहत, बैंक गंभीर सजावटी छंटनी और बड़ी हानि से पीड़ित होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी, कोई अन्य प्रभावी उपायों की घोषणा नहीं की गई है।

- आरबीआई अधिनियम में संशोधन द्वारा ऋण चूककर्ताओं के नामों को समय–समय पर प्रकाशित करने कीएआईबीईए की माँग को जानबूझकर टाला जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार चुनाव फण्ड के कारण कॉर्पोरेट कम्पनियों की रक्षा करना चाहती है।

- जानबूझक ऋण चूक को दण्डनीय अपराध के रूप में घोषित करने की महत्वपूर्ण माँग को भी नजरअंदाज करना गठजोड़ और निहित स्वार्थों को इंगित करता है।

- इसके भी कोई संकेत नहीं है कि एफआरडीआई बिल को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा, इस तरह से कॉर्पोरेट अपराधों को छुपाने के लिए जनता के धन को इस्तेमाल करने के प्रयास जारी हैं।

कुल मिलाकर, बजट काफी निराशाजनक है और मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने, रोजगार उत्पन्न करने, कृषि संकट को दूर करने, और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा।

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री